भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3712

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र

3712. श्री विजय कुमार दूबे:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारी उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्रों में कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या-क्या पहलें की गई हैं;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कौशल विकास और पुनर्कौशल कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

1. उद्योग 4.0 को बढ़ावा देने के लिए चार स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ) केंद्रों की स्थापना।
2. उन्नत वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), त्रिची के वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) में कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर (सीईएफसी) की स्थापना।
3. ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) द्वारा 23 अर्हता पैकेज विकसित किए गए।
4. कैपिटल गुड्स एंड स्ट्रैटेजिक स्किल्स काउंसिल (सीजीएसएससी) द्वारा 23 अर्हता पैकेज विकसित किए गए।

5. इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल (आईएएससी एसएससी) द्वारा 12 अर्हता पैकेज तैयार किए गए।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एमएसडीई ने अपनी विभिन्न स्कीमों एवं पहलों के माध्यम से कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। एमएसडीई द्वारा प्रशासित प्रमुख फ्लैगशिप स्कीमों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) तथा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) शामिल हैं, जो भारी उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में लागू हैं।

(ख): भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समर्थ केंद्रों के अंतर्गत लगभग 33,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूआरआई, बीएचईएल, त्रिची में स्थापित सीईएफसी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 8,500 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पीएमकेवीवाई 4.0 स्कीम का वर्तमान संस्करण है, जिसका कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2022-23 से किया जा रहा है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 27,31,699 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

पूंजीगत वस्तु एवं विनिर्माण क्षेत्र में शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान आईटीआई में कुल 12,53,158 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ है।

(ग) और (घ): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पीएमकेवीवाई 4.0 एक मांग-आधारित स्कीम है, जिसके अंतर्गत कौशल अंतराल को ध्यान में रखते हुए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) को मान्यता/संबद्धता प्रदान की जाती है। दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत 16,946 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय तथा पॉलिटेक्निक जैसे 6,993 शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।

******